छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग रायपुर,

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर–492002

छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2025

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:18:30

चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विवरणिका 2025

1.1 छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध चिकित्सा स्नातकोत्तर की कुल प्रवेश सीटों की संख्या का 50 प्रतिशत सीट संख्या संस्थावार अखिल भारतीय कोटा हेतु संस्था द्वारा प्रेषित किया जाता है तथा जिन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु नियमानुसार अतिरिक्त सीटें वृद्धि की गई है, उक्त संस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु कुल प्रवेश सीटों की संख्या का 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

1.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) No. 689 of 2017 के आदेश एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर दिनांक 03 जुलाई 2017 अधिसूचना क्रमांक एफ 21–10/2017/नौ/55–4 के अनुसार सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय में कुल उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों का 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय नियतांश में उपलब्ध कराया जाता है।

1.3 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1.1 एवं 1.2 के आरक्षण उपरांत छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2025 में उल्लेखित आरक्षण प्रतिशत अनुसार श्रेणीवार एवं संवर्गवार आरक्षण दिया जाता है।

1.4 केन्द्र शासन/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित समय–सारणी अनुसार चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग प्रक्रिया की जाती है।

2.1 काउंसिलिंग संबंधित सभी सूचनाएँ वेबसाईट www.cgdme.in में प्रदर्शित की जायेंगी। अतः सभी संबंधित उक्त वेबसाईट का नियमित अवलोकन करें।

2.2 सभी आवेदक चिकित्सा स्नातकोत्तर नियम 2025 को पढ़कर ही काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो।

2.3 आवेदन एवं शुल्क :– प्रवेश वर्ष की NEET PG में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों हेतु काउंसिलंग में सम्मिलित होने के लिए केवल एक बार ऑनलाईन आवेदन, आवेदन शुल्क सहित उपलब्ध होगा। जिस हेतु ऑनलाईन आवेदन शुल्क भुगतान निम्न तालिकानुसार :–

क्रमांक	विवरण	आवेदन शुल्क (रूपये)
1.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीट हेतु	रू. 2000/– (रूपये दो हजार)
2.	निजी चिकित्सा महाविद्यालय की सीट हेतु	
3.	अप्रवासी भारतीय (एन0आर0आई0) सीट हेतु	रू. 10000/– (रूपये दस हजार)

ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध होगी।

2.4 भारत के राजपत्र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिसूचना नई दिल्ली 05 अप्रैल 2018 सं.भा.आ.प. –18(1)/2018–मेड./100818 के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस शासकीय संस्था की सीटों हेतु रू0 पच्चीस हजार **(आरक्षित श्रेणी हेतु रू0 बारह हजार पांच सौ)** एवं निजी संस्था की सीटों हेतु रजिस्ट्रेशन फीस रू0 दो लाख लागू होगी तथा जो द्वितीय चरण एवं आगामी चरणों में आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेने पर नियमानुसार राजसात कर ली जायेगी। **(नोट : केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर यथावत लागू होंगे)**

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:21:52

2.5 बिन्दु क्रमांक 2.3 के अनुसार आवेदकों में सेवारत अभ्यर्थी के बोनस अंक को जोड़कर प्रावीण्य सूची निर्मित की जायेगी तथा प्रावीण्य सूची एवं आवेदकों के संस्था चयन प्राथमिकता क्रम अनुरूप प्रावीण्यतानुसार ऑनलाईन आवंटन दिया जायेगा।

2.6 काउंसिलिंग की प्रक्रिया चार चरणों में ऑनलाईन रूप से की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो काउंसिलिंग के चरणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सभी चरणों की काउंसिलिंग ऑनलाईन रूप से की जाएगी। प्रत्येक चरण में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक चरण में आवंटित अभ्यर्थी को पात्रता संबंधी दस्तावेजों की संवीक्षा करवाना अनिवार्य होगा। संवीक्षा में अपात्र पाये जाने या अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग से स्वतः ही बाहर हो जायेगा।

काउंसिलिंग या आवंटन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी विषय एवं संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आवंटन होने के पश्चात् पुनः उसी संस्था में समान विषय की सीट आवंटित नहीं की जायेगी।

(क) प्रथम चरण की काउंसिलिंग में संस्था चयन एवं आवंटन के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने या न लेने का विकल्प होगा । प्रवेशित अभ्यर्थी को द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में अपग्रेड करने का विकल्प उपलब्ध होगा ।

(ख) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पूर्व से प्रवेशित, अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी पात्र होंगे। द्वितीय चरण में आवंटन के उपरांत प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी का सुरक्षा राशि (रजिस्ट्रेशन शुल्क) राजसात कर लिया जाएगा । किन्तु वह मॉपअप राउण्ड (तृतीय चरण) की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र रहेंगे।

(ग) तृतीय चरण (Mop-up Round) की काउंसिलिंग में सभी अप्रवेशित अभ्यर्थी एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे । तृतीय चरण में आबंटन के उपरांत प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन शुल्क राजसात कर लिया जाएगा एवं वह चतुर्थ चरण (स्ट्रे वैकेन्सी) हेतु अपात्र हो जाएंगे ।

(घ) चतुर्थ चरण (स्ट्रे वैकेन्सी) के लिए केवल अनावंटित अभ्यर्थी एवं नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी पात्र होंगे। चतुर्थ चरण के आवंटन के उपरांत अभ्यर्थी को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क राजसात कर लिया जाएगा एवं अभ्यर्थी आगामी चरण (यदि संपन्न हो तो) एवं आगामी वर्ष की काउंसिलिंग के लिए अपात्र हो जाएगा। काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण की विस्तृत जानकारी CGDME के वेबसाईट पर उपलब्ध की जाएगी।

2.7 **तृतीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटन उपरांत सीटों का अंतरण** – किसी भी संवर्ग की सीट रिक्त होने पर प्रथमतः उसे उसी मूल श्रेणी की बिना संवर्ग की सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा। तद्–उपरान्त यदि श्रेणी में भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी राजपत्र 2012 के अनुसार श्रेणी परिवर्तन किया जा सकेगा।

यदि EWS की आरक्षित सीटें EWS के अभ्यर्थी के अभाव अथवा स्नातकोत्तर विषय की सीटें विकल्प न चाहने के कारण रिक्त रहती है तो, उन्हें अनारक्षित सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

2.8 संवीक्षा में आवश्यक दस्तावेज सूची :– अभ्यर्थी को जिस कोटे एवं श्रेणी/संवर्ग की सीट आवंटित की गयी है उसके अनुसार संविक्षा (स्क्रूटनी) में केवल मूल दस्तावेजों की जांच की जाती है एवं जिस अभ्यर्थी को किसी विशेष आरक्षण का लाभ प्राप्त करना हो, तो उक्त दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत करना उसकी जिम्मेदारी होगी। संवीक्षा के लिए उपस्थित होने की तिथि से एक दिवस पूर्व तक जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे, किन्तु दिव्यांग संवर्ग के अभ्यर्थियों पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी। कोई भी स्क्रूटनी अधिकारी अन्य दस्तावेजों के आधार पर उन्हे योग्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। **(स्पष्टीकरण : जैसे किसी अभ्यर्थी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है तथा उनके पिता छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारी है और अभ्यर्थी ने कक्षा 01 से 12वीं तक छत्तीसगढ़ राज्य**

Digitally signed by SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:21:25

में ही अध्ययन किया है, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर उसे वास्तविक निवासी नहीं माना जा सकता। उसे वास्तविक निवासी का प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा।)

i). नीट प्रवेश पत्र (NEET Admit Card)

ii). नीट स्कोर कार्ड (NEET Score Card)

iii). सभी एमबीबीएस *(प्रथम, द्वितीय, तृतीय समस्त भाग)* की अंक सूची इंटर्नशीप सहित।

अथवा

विश्वविद्यालय से जारी की गई एमबीबीएस डिग्री।

iv). किसी भी राज्य मेडिकल कॉउसिल का स्थायी पंजीयन। यदि छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल कॉउसिल का स्थायी पंजीयन नहीं है तो, तीन माह में प्रस्तुत करना होगा।

v) मूल निवासी प्रमाण पत्र। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

vi). छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित जनजाति श्रेणी/अनुसूचित जाति श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमीलेयर श्रेणी के लाभ हेतु *"स्थायी जाति प्रमाण पत्र"*। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमिलेयर हेतु एवं विगत तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र जो तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो अथवा फ़ार्म–16 जो कि छत्तीसगढ़ के सामान्य विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के मापदण्डों के अनुसार हो अथवा

अभ्यर्थी के पालक शासकीय सेवा में हो तो सेवा प्रमाण पत्र जो कि सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय छ.ग. द्वारा जारी मापदण्डों के अनुसार गैर क्रीमी लेयर में होने की पुष्टि करता है।

vii). दिव्यांगजन अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रवेश वर्ष में जारी दिव्यांग/ निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

viii). आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रवेश वर्ष के 31 मार्च के आय गणना के पश्चात् जारी 01 अप्रैल अथवा उसके बाद का जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ix). सेवारत अभ्यर्थी हेतु वांछित सेवा प्रमाण पत्र। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

x). विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर प्रव्रजन (Migration) प्रमाण पत्र, तीन माह में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र न होने पर तत्संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करें । (यदि प्रव्रजन (Migration) प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेशार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो, इस कृत्य की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी)

xi). मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी / चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा जारी)

xii). पाठ्यक्रम के उपरान्त राज्य शासन के अधीन सेवा बाबत् बंध पत्र।

xiii). पाठ्यक्रम की सीट त्यागने पर लागू बॉण्ड राशि बाबत् बंध पत्र।

xiv). सभी दस्तावेजों का दो फोटो कॉपी सेट।

xv). आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटो परिचय पत्र (जैसे : ड्रायविंग लाईसेंस/ पासपोर्ट/ मतदाता परिचय पत्र)

xvi). पासपोर्ट साईज कलर अथवा ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटो 03 प्रति, जो कि एक ही निगेटिव से बनी हो।

xvii). लागू शिक्षण शुल्क एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु 01 वर्ष के शुल्क की बैंक गारंटी।

xviii). एन0आर0आई0संबंधित दस्तावेज :

(1) अप्रवासी भारतीय प्रायोजक का अभ्यर्थी से अभ्यर्थी की पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी पहले तक में माता या पिता पक्ष से रक्त संबंध की पुष्टि करता हो (जैसे : संबंध पिता, माता, भाई, बहन, भाई बहन की संतान, चाचा, चाचा की संतान, मामा, मामा की संतान,

Digitally signed by SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:20:46

मौसी, मौसी की संतान, बुआ, बुआ की संतान, नाना, नानी, दादा, दादी से रिश्ता) इस हेतु वंशावली वृक्ष प्रमाण पत्र जो कि अभ्यर्थी के निवासरत जिला तहसीलदार कार्यालय या उससे उच्च अधिकारी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया हो। एन.आर.ई. प्रायोजक हेतु समस्त दस्तावेज स्वंय प्रायोजक के ही होना अनिवार्य होगा।

(2) विदेश में निवास का प्रमाण हेतु वहाँ का ग्रीन कार्ड/कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैध वीसा सहित/नागरिकता संबंधित सक्षम दस्तावेज/181 दिन अथवा अधिक का कार्य प्रमाण हेतु दस्तावेज/अन्य कोई सक्षम दस्तावेज जो इस बिन्दु की पूर्ति करता हो।

(3) OCI (Overseas citizen of India) अभ्यर्थी भी सामान्य श्रेणी की NRI सीटों के लिए पात्र होंगे. इस हेतु अभ्यर्थी को OCI (Overseas citizen of India) होने का प्रमाण पत्र/कार्ड प्रस्तुत करना होगा। (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.C. 891 of 2021 dated 03–02–2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार)

(4) एन.आर.ई./एन.आर.आई./समकक्ष बैंक एकाउण्ट की बैंक द्वारा सत्यापित स्टेटमेन्ट कॉपी।

(5) जीवित वर्क परमिट जो कि न्यूनतम 181 दिन अथवा अधिक का हो/ग्रीन कार्ड.धारी की कॉपी जो कि बिन्दु क्र. 02 के अनुसार पूर्ति करता हो।

(6) प्रायोजक की आय, सम्बंधित पाठ्यक्रम के शुल्क देने योग्य हो तथा शुल्क का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना होगा। भुगतान की रसीद या संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय की बैंक एकाउण्ट की बैंक द्वारा सत्यापित स्टेटमेन्ट कॉपी प्रवेश पूर्ण होने के 07 दिवस के भीतर के आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

(अतिरिक्त जानकारी हेतु NMC **द्वारा जारी नोटिस क्रमांक** U-12021/11/2025-MEC **दिनांक 24–10–2025 का अवलोकन करें।)**

नोट :– **स्क्रूटनी की प्रक्रिया में स्क्रूटनी अधिकारी आवश्यक मूल दस्तावेजों की स्क्रूटनी करते है किसी नियम के तहत किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता तय नहीं करते है। अपनी पात्रता हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होती है।**

2.9 सभी पी0जी0 प्रवेशित मेडिकल छात्रों को छत्तीसगढ राज्य की छत्तीसगढ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

प्रवेश उपरान्त एक माह की समय सीमा के अंतर्गत छत्तीसगढ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा वांछित शुल्क जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2.10 महाविद्यालय में प्रवेश के दिनांक से डिग्री हेतु तीन वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे। अभ्यंर्थी को सम्पूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रैक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा अमान्य होगी।

2.11 छात्रों को शैक्षणिक सत्र की कालावधि में अवकाश की पात्रता एन.एम.सी. के मापदण्डों के अनुसार होगी।

2.12 चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के नियमित अभ्यर्थी यदि अनाधिकृत रूप से लगातार 30 दिवस या उससे अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकेगा।

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:20:08

सेवारत अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लेखित अवधि में अनाधिकृत अवकाश उपरान्त पाठ्यक्रम निष्कासन सहित छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित नियम के तहत् कार्यवाही की जायेगी।

निष्कासित अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार बंध पत्र की राशि का भुगतान भी किया जाना होगा।

2.13 पाठयक्रम पूर्ण करने उपरान्त सेवारत अभ्यर्थियों की विभाग में वापसी – पीजी डिग्री पाठयक्रम के लिए सामान्य अवधि 36 माह है पाठयक्रम/अध्ययन अवधि पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उनकी प्रास्थिति पर विचार किए बिना पैतृक विभाग में वापस जाना होगा, भले ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में अध्ययन जारी रखने का कार्यकाल बढाया नहीं जाएगा। प्रसूति अवकाश की अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि पूर्व में प्रसूति अवकाश में स्टायपण्ड का भुगतान किया जा चुका तो इस अवधि के लिये कोई स्टायपण्ड अथवा वेतन आदि देय नहीं होगा।

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 11-11-2025
18:19:38

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़